योजना मंत्रालय

मांग संख्या 73

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		82.50	39.32	121.82	47.00	42.00	89.00	584.00	42.00	626.00
पूंजी		*7.50*	...	*7.50*	*4.00*	...	*4.00*	*18.00*	...	*18.00*
जोड़		**90.00**	**39.32**	**129.32**	**51.00**	**42.00**	**93.00**	**602.00**	**42.00**	**644.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.31	0.31	...	0.33	0.33	...	0.37	0.37
2. योजना आयोग	3451	10.50	35.21	45.71	9.20	37.87	47.07	12.50	37.83	50.33
	5475	7.50	...	7.50	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
	जोड़	*18.00*	*35.21*	*53.21*	*13.20*	*37.87*	*51.07*	*22.50*	*37.83*	*60.33*
3. पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास के क्षेत्र में नई पहल	2203	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
4. ऊर्जा (अनुसंधान और विकास)	3425	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
5. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता	3475	19.00	...	19.00	12.23	...	12.23	7.75	...	7.75
6. योजना लेखा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	3475	...	...	...	...	...	...	16.25	...	16.25
	5475	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*24.25*	...	*24.25*
7. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आयोजना प्रक्रिया को सहायता	3475	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
	3601	...	...	...	...	...	...	175.00	...	175.00
.	3602	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*200.00*	...	*200.00*
8. गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण विकेनद्रीकरण और भागीदारी आयोजना हेतु यूएनडीपी सहायता	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	1.80	...	1.80
9. सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	2245	3.00	...	3.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
10. अन्य	3475	44.00	3.80	47.80	19.07	3.80	22.87	42.70	3.80	46.50
कुल जोड़		***90.00***	***39.32***	***129.32***	***51.00***	***42.00***	***93.00***	***602.00***	***42.00***	***644.00***
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय योजना										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवा	13451	18.00	...	18.00	13.20	...	13.20	22.50	...	22.50
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	69.00	...	69.00	37.30	...	37.30	276.50	...	276.50
4. तकनीकी शिक्षा	22203	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
5. प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	22245	3.00	...	3.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
जोड़		**90.00**	**...**	**90.00**	**51.00**	**...**	**51.00**	**602.00**	**...**	**602.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं :** केन्द्रीय योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय व्यय की व्यवस्था करता है।

2. **योजना आयोग/ योजना बोर्डः**

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय की व्यवस्था करता है।

(ख) "कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण " कार्यालय परिसर के नवीनीकरण और परिवर्तन, उपकरणों की खरीद और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्ययों की व्यवस्था करता है।

(ग) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए स्थापना व्यय की व्यवस्था करता है।

(घ) 21वीं सदी की ज्ञान चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु शिक्षा प्रणाली को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास के क्षेत्र में नई पहलें** : बढ़ती हुई एवं विविधतापूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित दक्ष जनशक्ति तैयार करना।

4. **ऊर्जा (आर एण्ड डी)** :उच्चतर क्षमता के लिए विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

5. **यूएनडीपी सहायता** : राज्य मानव विकास रिपोर्टें तैयार करने के लिए यूएनडीपी सहायता की व्यवस्था करता है।

6. **योजना लेखा एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली** : एक उपयुक्त एमआईएस/ डीएसएस शुरू करना जिससे कि प्रत्येक योजना स्कीम के अंतर्गत व्यय, आउटपुट और उपयोग नहीं की गई राशि के संबंध में राज्यवार/ जिलावार रिपोर्टें तैयार करने के साथ-साथ व्यय पर नजर रखी जा सके एवं रिपोर्टिंग की जा सके।

7. राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर आयोजना प्रक्रिया को सहायता का प्रावधान है।

सं.73/योजना मंत्रालय

8. गरीबी कम करने के लिए ग्रामीण विकेन्द्रीकरण एवं भागीदारी आयोजना हेतु यूएनडीपी सहायता का प्रावधान है।

9. **सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम** : सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सामाजिक मूल्यांकन प्रभाव अध्ययन सहित सामाजिक मूल्यांकन आदि के लिए परियोजना अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध कराना।

10. अन्यः

(क) जनशक्ति अनुसंधान संस्थान को आधारिक संरचना सुदृढ़ करने तथा अन्य कार्य कलापों हेतु सहायता-अनुदान उपलब्ध कराना।

(ख) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थागत विकास आदि हेतु सहायता-अनुदान।

(ग) "आयोजना प्रक्रिया हेतु विशेषज्ञता " स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक और विशेष सेवाओं हेतु भुगतान ।

(घ) 50वें वर्ष की पहल के अंतर्गत एक व्यापक डाटा बैंक की स्थापना करना जिसमें राष्ट्र के विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हों, और राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करना, इत्यादि ।

(ङ) योजनाकारों/ नीति निर्माताओं को तत्काल और उपयोगी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने और विकास मूल्यांकन के बारे में डाटा बेस तैयार करने हेतु सरकारी तंत्र में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण।